

# न्यायलय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

बनाम ..... विद्या कुमारी ..... प्रथम पक्ष  
 ..... श्रीमती कुमारी ..... द्वितीय पक्ष


आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)


आदेश पत्रक ता० ..... से ..... तक

जिला-गिरिडीह ।

वाद संख्या..... 64 ..... सन् 20 22

आदेश की क्रम सं० और तारीख	धारा 107 द०प्र०सं० आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1.	2.	3.
	<p>मैं थाना प्रभारी <u>बगोदर</u> के अप्राथमिकी संख्या <u>10/22</u> के अवलोकन से सुतुष्ट हूँ कि दोनों पक्षों के सदस्यों के बीच <u>झांपसी विवाद एवं गाली गलौच</u> को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है, जिससे शांति भंग होने की संभावना बनी हुई है। जो मेरे सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आता है।</p> <p>अतः उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 107 द०प्र०सं० का प्रक्रिया प्रारंभ किया जाता है तदनुसार नोटिस निर्गत करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक <u>01.04.2022</u> को रखें।</p> <p style="text-align: right;">             अनुमण्डल दण्डाधिकारी,            बगोदर-सरिया।         </p>	

क्र० सं० तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
01/04/22	अभिलेख (उपस्थापित) प्रथम पत्र (उपस्थापित) / द्वितीय पत्र अनुपस्थापित / डिलीट पत्र विरल ५१९ निर्गत करें। To 9/4/22 C. P.	
09/04/22	<del>प्रथम पत्र से विरल ५१९ में</del> <sup>उपस्थापित</sup> / द्वितीय पत्र अनुपस्थापित To 23/4/22 C. P.	
23/4/22	उभय पत्र अनुपस्थापित To 24/6/22	
24/6/22	उभय पत्र अनुपस्थापित To 25/7/22	
25/7/22	उभय पत्र अनुपस्थापित To 13/8/22	
13/8/22	उभय पत्र अनुपस्थापित To 2/9/22	
2/9/22	उभय पत्र अनुपस्थापित To 16/9/22	

की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
16/9/22	उभय पक्ष अनु० 1 TO 1/10/22	
1/10/22	उभय पक्ष अनु० 1 TO 28/10/22	
28/10/22	उभय पक्ष अनु० 8 TO 11/11/22	
11/11/22	उभय पक्ष अनु० 8 TO 25/11/22	
25/11/22	उभय पक्ष अनु० 1 TO 9/12/22	
9/12/22	उभय पक्ष अनु० 1 TO 23/12/22	
23/12/22	<p>अभिलोक उपस्थापित। वाद के लिए निर्धारित जॉच की अवधि समाप्त होने के कारण वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">             कार्मण दत्त            बगौदा - एरिया।         </p>	